

का0आ0सं0-बी0/मु0स्था0-01-07/2006/139/जे0, पटना, दिनांक-27.11.2014

विधि विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) में पदस्थापित विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, श्री उज्ज्वल कुमार दुबे एवं संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, श्री मनोज कुमार को उनके नाम के सामने अंकित कार्य यथा विधायी न्याय, स्थापना एवं अन्य कार्यों का आवंटित निम्नरूपेण किया जाता है :-


| श्री उज्ज्वल कुमार दुबे,<br>विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी                                     | श्री मनोज कुमार,<br>संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी  |
|---|--|
| 1. धार्मिक न्यास पर्वद,   | 1. रिहाई के विरुद्ध अपील ।   |
| 2. अभियोजन की स्वीकृति (निगरानी से संबंधित मामलों में)  | 2. अभियोजन की स्वीकृति (निगरानी से संबंधित मामलों को छोड़कर)   |
| 3. विधि परामर्शी शाखा का कार्य एवं बजट शाखा के प्रभारी,   | 3. विधान/न्याय शाखा के प्रभारी,  |
| 4. विभागीय मंत्री/राज्य मंत्री स्थापना से संबंधित सभी कार्य।                                    | 4. उच्चतम न्यायालय से संबंधित अधिवक्ताओं की नियुक्ति, उनके शुल्क का निर्धारण।  |
| 5. विभागीय मशीन क्रय एवं रख-रखाव, वाहन का खरीदगी, ईंधन की आपूर्ति, रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य, | 5. जयघोष की राशि की स्वीकृति।  |
| 6. लेखन सामग्री एवं अन्य सामग्रियों का क्रय,  | 6. जन शिकायत से संबंधित कार्य।   |
| 7. सेवारत व सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों की सभी सुविधायें।                                  | 7. नोटरी से संबंधित सभी कार्य।   |
| 8. सभी न्यायमंडल के कर्मियों का सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम की स्वीकृति संबंधी कार्य,         | 8. नये न्यायालयों/न्यायालय भवनों एवं पदों का सृजन संबंधी कार्य।  |
| 9. मुख्यालय स्थापना का कार्य,   | 9. जिलों के लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक/सरकारी वकील/सहायक सरकारी वकील/विशेष लोक अभियोजक से संबंधित सभी कार्य।  |
| 10. उच्च न्यायालय एवं सिविल कोर्ट के स्थापना से संबंधित सभी कार्य।                              | 10. सभी विधि पदाधिकारियों, कनीय अधिवक्ताओं, अपर लोक अभियोजकों, पटना, रांची एवं अन्य विशेष लोक अभियोजक के 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये तक के शुल्क विपत्र को पारित करना तथा 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये से अधिक के शुल्क विपत्र को सचिव के अनुमोदनोपरांत पारित करना। |
| 11. असमय कारा मुक्ति।   | 11. सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्य।  |
| 12. अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कार्य।  |  |
| 13. सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा समय-समय पर दिये गये कार्य।                                     |  |

2. उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं से संबंधित शुल्क विपत्र प्रशाखा से संबंधित अवर सचिव/उप सचिव के माध्यम से संयुक्त सचिव को उपस्थापित किये जायेंगे। संयुक्त सचिव संचिका में आवश्यकतानुसार सचिव का आदेश प्राप्त करेंगे।
3. विधान शाखा से संबंधित सभी कार्य संयुक्त सचिव (प्रभारी विधान शाखा) को उपस्थापित किये जायेंगे एवं संयुक्त सचिव आवश्यकतानुसार संचिका में सचिव का आदेश प्राप्त करेंगे।
4. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह0/-अखिलेश कुमार जैन  
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञाप सं0-.....8080...../जे0, पटना, दिनांक-28-11-14

प्रतिलिपि:-सभी पदाधिकारियों/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री उज्ज्वल कुमार दुबे, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, पटना/अवर सचिव (स्थापना), विधि विभाग, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकगण, विधि विभाग, बिहार, पटना एवं माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना तथा आई0टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अखिलेश कुमार जैन)  
सरकार के सचिव, बिहार।  
28/11/14